-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा अवैध रुप से पटाखों की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से लगभग 150 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद ।**

विवरण- सुरक्षित, सौम्य एवं दुर्घटनारहित दीपावली सम्पन्न कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रुप से पटाखा निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में दिनांक 11.10.2025 को देर शाम थाना बदौसा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नई बाजार बदौसा निवासी रमेश चन्द्र पुत्र सीताराम अपनी हड़हा रोड स्थित सेजल ब्यूटी पार्लर की दुकान में अवैध रुप से पटाखो की बिक्री कर रहा है । सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल दुकान में पर जाकर छापेमारी की गई तो मौके से भारी मात्रा में अवैध रुप से पटाखे बरामद हुए । पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पटाखो को कब्जे में लेकर थाना बदौसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमेश चन्द्र पुत्र सीताराम निवासी नई बाजार थाना व कस्बा बदौसा जनपद बांदा ।

बरामदगी-

➢ 05 झाल पटाखे (अनुमानित वजन लगभग 150 किलोग्राम)

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0स0 168/25 धारा 287 (BNS) एवं 5/9B(1)(B) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1986 थाना बदौसा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री कुलदीप कुमार तिवारी थानाध्यक्ष बदौसा
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
3. कां0 अनुराग यादव
4. कां0 दिनेश यादव